भारत INDIA COURT FEE Rs 2 दो रुपये TWO RUPEES

सेवामें,

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
राजगढ़ (अलवर)

RA
3/4/25

कालीचरण बनाम लायका राम
दावा स्थाई निषेधाज्ञा

महोदय,

प्रार्थी/वादी निम्न निवेदन करता है:-

1. यह कि उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.04.2025 को नियत है।

2. यह कि वादी उक्त वाद पत्र को लोक अदालत की भावना से withdraw करना चाहता है एवं प्रकरण को not press के खारिज कराना चाहता है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त [illegible] वाद पत्र व प्रार्थना पत्र की पत्रावली तलब फरमाकर withdraw के आधार पर not press में खारिज फरमाने की कृपा करें।

दि:- 03.04.2025

प्रार्थी/वादी

कालीचरण [illegible] पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
R/o ग्राम तालाब तह. टहला [illegible]

द्वारा अधिवक्ता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
18/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वास्ते तलबी रिपोर्ट दिनांक 03/4/25 को पेश हो Sd/- SDO	
03/04/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी/वादी व स्वयं वादी उप०। वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया की वो प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते हुई दावा वादी विड्रो किया जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील वादी व स्वयं वादी के निवेदन पर दावा वादी विड्रो कर खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तामील जमा लेख अगार हो। Sd/- SDO	Sd/-

तारीख हुक्म	# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

कालीचरण बनाम लायका राम
प्रार्थना पत्र संख्या– 02/14/2025

24.01.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 125 आराजी खसरा नम्बर 517/0.4400 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी से प्रार्थी को जोतने बोने काटने उपयोग–उपभोग आदि कुल कार्य कास्त में किसी भी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करे। उक्त खसरा की भूमि के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा कर कोई निर्माण न कराए। प्रार्थी को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा ना करें। प्रार्थी के साथ कोई झगडा फिसाद नही करे। अन्त में मौके की यथा स्थिति यथावत बनायें रखे। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात जमाबंदी खाता संख्या 125 सम्वत 2069–2075 के अनुसर ग्राम तालाब तहसील टहला में स्थित है। प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि *आराजी खाता संख्या 125 आराजी खसरा नम्बर 517/0.4400 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर* में आगामी आदेशों तक मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार का नव निर्माण कार्य न करे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। लेकिन किसी भी न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की पालना पर प्रभावी नही रहेगा। अप्रार्थीगणृ जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 18.02.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(हस्ताक्षर)
(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

18/02/25

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते पेश होने तलबी रिपोर्ट दिनांक 02/4/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
SDO

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो ऐसे हुक्म की तामील में जारी हुए।
	03/04/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उप०। वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दावा व प्रार्थना पत्र विड्रो करने का पेश किया जो शा. मि. है। वकील वादी/प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी ने ~~उप~~ मुलवाद के साथ-साथ प्रार्थना पत्र 2/2 भी विड्रो करने का निवेदन किया। मुलवाद विड्रो कर खारीज होने के कारण प्रार्थना पत्र 2/2 भी विड्रो कर खारीज किया जाता है। साथ ही न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 24/01/25 को भी इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मुलवाद 1/25/25 के साथ संलग्न होकर जमा लेख भण्डार हो। SDO	03/04/25